न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग रीवा, (म0प्र0)

1. रामकृपाल तिवारी उम्र 80 वर्ष, पेशा, पेंशनर व खेती।
2. चन्द्रशेखर प्रसाद तिवारी उम्र 62 वर्ष, पेशा, पेंशनर व खेती।
दोनों के पिता रामाधीन तिवारी,
निवासी ग्राम उमरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म.प्र.

निगराकार/आवेदकगण

विरुद्ध

1. हीरालाल तिवारी।
2. अरुण तिवारी।
3. तरुण तिवारी।
तीनों के पिताश्री भोले प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम उमरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

गैरनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सं0 1959

निगरानी विरुद्ध पृ0क्र0 951 अपील वर्ष 13X14 आदेश दिनांक 06.10.2015 पारित आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (श्री के0पी0 राही)

द्वारा आज दि. को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

आवेदक एवं अनावेदक/गैरनिगराकार एक ही मूल पुरुष शिवनन्दन राम के वारिशान है। शिवनन्दन के दो पुत्र राम सहाय एवं रामसेवक थे दोनों मृतक हैं। राम सहाय आवेदक/निगराकार के बाबा हैं तथा अनावेदक/गैरनिगराकार के परबाबा राम सेवक हैं। रामसहाय की मृत्यु के बाद राम सहाय के पुत्रों एवं रामसेवक के बीच सम्बत 1992 में आपसी बटवारा हुआ तथा आपसी याददाश्त पुल्ली भी लेख की गई थी। सम्बत 1992 के बटवारे को मान्यता देते हुए उभयपक्ष सम्बत 1992 से लगातार वारिसन कब्जा दखल करते आ रहे हैं।

आवेदकान एवं अनावेदकगण के पूर्वजो की भूमि ग्राम उमरी एवं ग्राम पल्हान दो ग्रामों के रही तथा दोनों ग्रामों की भूमियों को मिलाकर आपसी बटवारा सम्बत 1992 में किया गया था। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि गौतमान वाला बांध जिसका कुल रकवा 9.33 एकड़ रहा दो ग्रामों उमरी एवं पल्हान ग्राम में स्थित है उमरी पार में गौतम वाला बांध का नम्बर 3028 रकवा 4.08 ए0 3029 रकवा 0.42 ए0 3030 रकवा 1.59 ए0 कुल किता 03 कुल रकवा 6.09 ए0 एवं पल्हानपुर में गौतमान वाले बांध का नम्बर 170 रकवा 2.80 ए. 171 रकवा 0.28 ए0 एवं 172 रकवा 01.16 ए0 कुल रकवा 3.24 ए0 है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–3337–दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामकृपाल/हीरालाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–11–2015	प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया । 2/ यह निगरानी प्रकरण कमांक 951/ अपील/ 2013–2014 में आयुक्त, सागर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत हुई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया कि संवत 1992 के बटवारे के अनुसार अनावेदकगण के पूर्वजों द्वारा ग्राम ऊमरी एवं ग्राम पल्हान की भूमियों को मिला कर कुल किता 5 रकबा 4.66 एकड़ एवं इसी प्रकार आवेदकगण के पूर्वजों को भी ग्राम ऊमरी एवं पल्हान की भूमियों को मिला कर कुल किता 5 रकबा 4.67 एकड़ बराबर–बराबर प्राप्त हुआ, किन्तु ग्राम पल्हान की भूमि कमांक–170, 171, 172 का नामांतरण आवेदकगण के पिता के नाम दिनांक–12.2.75 को हुआ था, बाद में यह भूमियां सहखाते में किस प्रकार दर्ज रही यह जानकारी आवेदकगण को नहीं हो सकी, जिसका नाजायज लाभ उठाकर अनावेदकगण द्वारा बाला–बाला चोरी छिपे नामांतरण पंजी कमांक–15 पर दिनांक–26.5.2011 को ग्राम पंचायत पल्हान से अपने नाम नामांतरण करा लिया गया । ग्राम पंचायत के द्वारा पारित उक्त नामांतरण आदेश दिनांक–26.5.11 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अपील प्रकरण कमांक–183/अ–6/13–14 एवं पुराना प्रकरण कमांक– 46/अ–6/अपील/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक–06.09.2014 में यह अंकित करते हुए निरस्त किया गया, कि तहसीलदार सिरमौर प्रकरण में इश्तहार जारी करें, सहखातेदारों को सूचित, करें तथा मृतक के वारिसानों की जानकारी लेवें एवं उन्हें सुनकर अपना जांच प्रतिवेदन भेजें तथा यह भी अंकित किया गया, कि नामांतरण निरस्त होने से	

मृतक रामसेवक का नाम पूर्ववत रहेगा, जिसकी दुरूस्ती तहसीलदार सिरमौर आवश्यक रूप से करावें । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक–06.09.2014 के विरूद्ध अनावेदक गण द्वारा अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जहां अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–06.10.2015 से अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को निरस्त किया गया है, जो अनुचित है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है ।

4/ प्रकरण में विद्यमान उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति का तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–6.9.2014 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति एवं ग्राम पंचायत पल्हान की नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति का अवलोकन किया गया ।

5/ अभिलेख अवलोकन से दृष्ट्व्य है कि अपर आयुक्त के आदेश के पेरा कमांक–5 में उन्होने अपना यह निष्कर्ष तो स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदक बराबर–बराबर के हिस्सेदार हैं। किन्तु न तो अपर आयुक्त एवं न ही अनुविभागीय अधिकारी ने, दोनों अपीलीय प्रकरणों में, सर्वे कमांक–170, 171, 172 पर आवेदक के पिता के नाम दिनांक–12.2. 1975 को नामांतरण होने तथा बाद में इन भूमियों का सहखाते में और उसके बाद अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरित होने के संबंध में कोई जांच और विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं, जिसके फलस्वरूप राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रकरण प्रस्तुत हुआ है।

6/ इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने यह लिखने के बाद कि अपील प्रकरण में प्रत्यावर्तन संभव नहीं है, प्रकरण में खुद कार्यवाही न कर, तहसीलदार को सहखातेदारों को सूचित कर और वारिसान की जानकारी लेकर सुनवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु उनके आदेश दिनांक 6–9–14 से निर्देशित किया है। उनके द्वारा प्रकरण में खुद कार्यवाही न कर ऐसा किया जाने का प्रभाव प्रत्यावर्तन के समान ही है, जो कि अपीलीय प्रकरण में अनुमत नहीं है। इन कारणों से मैं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक

6–9–14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ एवं एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ

7/ साथ ही उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित कारणों के चलते मैं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 6–10–15 भी पूरी तरह समाधानकारक नहीं पाये जाने से अपास्त करता हूँ।

8/ इसी अनुक्रम में मैं अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर, जिला रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वह अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 48/अ–6/अपील/12–13 पुनः खोलें तथा उसमें सम्पूर्ण जांच, सुनवाई, परीक्षण, विवेचना आदि करते हुए बोलते हुए निष्कर्ष निकालने की कार्यवाही अपने स्तर से करें और उसे अधीनस्थ तहसीलदार के माध्यम से न कराएं। इस प्रकार कार्यवाही करते हुए वह नये सिरे से, प्रकरण से संबंधित ऐसे समस्त बिन्दु जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस न्यायालय, अपर आयुक्त न्यायालय अथवा उनके या उनके अधीनस्थ स्तरों पर उठाए गये हों, जिनमें से कुछ का हवाला इस आदेश के पूर्ववर्ती अंशों में भी लिया गया है, पर जांच एवं विवेचना कर बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, इस आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, आदेश पारित करें।

पक्षकार सूचित हों। अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर, जिला रीवा इस आदेश से पालनार्थ सूचित हों। प्रकरण समाप्त। प्रकरण दा. रि. हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य